भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1768

दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

राजस्थान में पशु कल्याण बोर्ड

1768. श्री राहुल कस्वांः

श्रीमती संजना जाटवः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त गौशालाओं की संख्या कितनी है तथा उनको वर्ष/राज्य/जिला-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या राजस्थान में गौशालाओं को मान्यता एवं सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन बोर्ड के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त आवेदन किस तारीख से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं, साथ ही चूरू ज़िले और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िलों में गौशालाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत गठित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है तथा इसका अधिकार क्षेत्र राजस्थान राज्य सहित भारत के संपूर्ण भूभाग तक फैला हुआ है।

(ख) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI), गौशालाओं सहित उन पशु कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान करता है जो बेसहारा/चोटिल/रोगग्रस्त पशुओं को आश्रय देते हैं। AWBI ने पिछले पाँच वर्षों में देशभर में 204 पशु कल्याण संगठनों या गौशालाओं को मान्यता दी है। अब तक भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा गौशालाओं सहित कुल 3,607 पशु कल्याण संगठनों को मान्यता दी जा चुकी है।

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत बेसहारा/चोटिल/रोगग्रस्त जानवरों को आश्रय देने वाले मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों/गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

(i) नियमित अनुदान एवं गोपशु बचाव अनुदान

(ii) पशुओं की देखभाल हेतु आश्रय गृह योजना

(iii) संकटग्रस्त पशुओं को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की योजना

(iv) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को राहत प्रदान करने संबंधी योजना

AWBI द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25) के दौरान कार्यान्वित उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधि की वर्ष वार राशि निम्नलिखित है:

क्र.सं.	योजना	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
		कुल AWO	कुल अनुदान	कुल AWO	कुल अनुदान	कुल AWO	कुल अनुदान
1	आश्रय अनुदान	4	3855954	4	3656903	2	1504233
2	नियमित अनुदान	73	3622600	108	7119475	87	10666000
3	एम्बुलेंस अनुदान	3	1350000	3	1324000	5	2205000
4	प्राकृतिक आपदा अनुदान	1	50000	0	0	0	0
	कुल	**81**	**8878554**	**115**	**12100378**	**94**	**14375233**

क्र.सं.	योजना	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
		कुल AWO	कुल अनुदान	कुल AWO	कुल अनुदान
1	आश्रय अनुदान	1	1068750	1	888356
2	नियमित अनुदान	117	17178000	10	1245000
3	एम्बुलेंस अनुदान	0	0	0	0
4	प्राकृतिक आपदा अनुदान	0	0	0	0
	कुल	**118**	**18246750**	**11**	**2133356**

पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25) के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य**	**आश्रय गृह अनुदान,**		**एम्बुलेंस अनुदान,**		**प्राकृतिक आपदा अनुदान**		**नियमित अनुदान और गोपशु बचाव अनुदान**	
		कुल AWO	**कुल अनुदान**	**कुल AWO**	**कुल अनुदान**	**कुल AWO**	**कुल अनुदान**	**कुल AWO**	**कुल अनुदान**
1	**आंध्र प्रदेश**	0	0	0	0	0	0	5	478800

2	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	3	188000
7	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	2	651800
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	1	1125000	0	0	0	0	14	2809450
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	11	10411095	10	4492150	1	500000	154	26947050
13	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	12000
15	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
16	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
17	महाराष्ट्र	1	1068750	0	0	0	0	18	2212625
18	मध्य प्रदेश	11	10722926	3	1302394	0	0	91	10130750
19	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
22	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ओडिशा	0	0	0	0	2	150000	0	0
24	पंजाब	2	2230711	0	0	0	0	1	150000

25	**पुदुचेरी**	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**राजस्थान**	12	10974196	11	4879000	1	50000	395	39831075
27	**सिक्किम**	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**तमिलनाडु**	0	0	0	0	0	0	3	75700
29	**तेलंगाना**	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**त्रिपुरा**	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**उत्तराखंड**	0	0	0	0	0	0	4	1245000
32	**उत्तर प्रदेश**	7	7717731	8	3540500	0	0	325	37154475
33	**पश्चिम बंगाल**	0	0	0	450000	0	0	6	332300
		45	**44250409**	**32**	**14664044**	**4**	**700000**	**1022**	**122219025**

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य के पशु कल्याण संगठनों/गौशालाओं से मान्यता प्रदान करने हेतु 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) के समक्ष लंबित हैं। इनमें से, 12 आवेदन पूर्ण दस्तावेज जमा न करने के कारण लंबित हैं, जिनके संबंध में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहले ही पूछताछ की गई है। दो मामलों में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग के निदेशक से निरीक्षण रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं। बीकानेर जिले से संबंधित एक आवेदन जाली मान्यता प्रमाण पत्र जमा करने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी होने के परिणामस्वरूप लंबित है। ये आवेदन दिनांक 20.02.2024 से दिनांक 26.12.2025 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए हैं।

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों/गौशालाओं से समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं और निर्धारित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाती है।

वित्तीय सहायता केवल उन्हीं प्रस्तावों के संबंध में जारी की जाती है जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और जिनके संबंध में संबंधित पशुपालन विभाग से निधि जारी करने की सिफारिश करने वाली अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है।

राजस्थान सहित किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता जारी न होने के मुख्य कारण संगठनों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत न करना, पिछले अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र सहित अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत न करना, योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना, प्रस्तावों की अपात्रता, निरीक्षण एजेंसी से अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होना और निधियों की उपलब्धता संबंधी बाधाएं हैं।

राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों/गौशालाओं से नियमित अनुदान, आश्रय अनुदान, एम्बुलेंस अनुदान और प्राकृतिक आपदा अनुदान योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उन आवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है, जिन्हें वित्तीय सहायता जारी नहीं की जा सकी:

क्रसं.	**योजना का नाम**	**लंबित प्रस्तावों की संख्या**	**वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या**	**कारण**
1	आश्रय गृह	7	दिनांक 21.05.2020 से दिनांक 15.09.2022	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण 6 आवेदन लंबित थे और एक आवेदन अनुदान जारी करने के लिए विचाराधीन है।
2	एम्बुलेंस अनुदान	1	दिनांक 14.07.2020	अनुदान जारी करने के लिए आवेदन पर विचार किया जा रहा है।
3	प्राकृतिक आपदा अनुदान	0	-	-
4	नियमित अनुदान और बचाव पशु अनुदान	27	दिनांक 22.02.2021 से दिनांक 28.10.2024	निम्नलिखित कारणों से आवेदन लंबित रहे:- क) नीति आयोग आईडी उपलब्ध न होने के कारण 7 आवेदन लंबित, ख) आवेदन शुल्क जमा न करने के कारण 2 आवेदन लंबित, ग) आवश्यक बॉन्ड जमा न करने के कारण 1 आवेदन लंबित, घ) 3 आवेदन अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए। ङ) पिछले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण 1 आवेदन लंबित, च) 13 आवेदन अनुदान जारी करने के लिए विचाराधीन हैं।

AWBI को चूरू जिले और भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्थित किसी भी पशु कल्याण संगठन से मान्यता या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।